न्यायालयः— श्री प्रियांशु पांडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास (म.प्र.)

(निर्णय तारीख 23 सितम्बर, 2023)

1. आपराधिक प्र. क्र	आरसीटी / 2758 / 2022
2. फाईलिंग नं.	आरसीटी / 7894 / 2022
3. सी.एन.आर. नं.	एमपी4101—009074—2022
4. संस्थित दिनांक	06.12.2022

———————————————————————————————

आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा, जिला देवास म.प्र. के अपराध क्र. 393 / 2022 अपराध अंतर्गत धारा 323, 324, 504, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता से उद्भूत प्रकरण।

———————————————————————————————

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा,
जिला देवास (म.प्र.)

.....अभियोगी

प्रतिनिधित्व द्वारा श्रीमति अलका राणा, ए.डी.पी.ओ.

विरुद्ध

1. रेशमा पिता अब्दुल रज्जाक मंसूरी, उम्र 43 वर्ष,
2. फकीर मोहम्मद उर्फ फक्कू पिता अब्दुल रज्जाक, उम्र 48 वर्ष,
3. जुबेर पिता अब्दुल रज्जाक मंसूरी, उम्र 41 वर्ष,
4. सायना पति फकीर मोहम्मद, उम्र 39 वर्ष,

सभी निवासीगण तुकोगंज रोड देवास, (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

प्रतिनिधित्व द्वारा श्री युनुस पटेल, अधिवक्ता

अपराध की तारीख	25.11.2022
प्र.सू.रि. की तारीख	25.11.2022
आरोप पत्र की तारीख	06.12.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	25.05.2023
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तारीख	13.09.2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	23.09.2023
निर्णय की तारीख	23.09.2023
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	————

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01	रेशमा	——	——	324 भा.दं.सं.	**दोषमुक्ति**	——	——
02	फकीर मो. उर्फ फक्कू	——	——	324/34 भा.दं.सं.	**दोषमुक्ति**	——	——
03	जुबेर	——	——	324/34 भा.दं.सं.	**दोषमुक्ति**	——	——
04	सायना	——	——	324/34 भा.दं.सं.	**दोषमुक्ति**	——	——

अभियोजन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.1	यासीन	आहत साक्षी
अ.सा.2	नाजीया	फरियादी/आहत साक्षी
अ.सा.3	गुलरेज	चक्षुदर्शी साक्षी

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी.1/अ.सा.2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी.2/अ.सा.2	नक्शामौका
3.	प्रदर्श पी.3/अ.सा.2	साक्षी नाजीया के पुलिस कथन
4.	प्रदर्श पी.4/अ.सा.3	साक्षी गुलरेज के पुलिस कथन
5.	प्रदर्श पी.5/स्वीकृत	चिकित्सकीय रिपोर्ट

01. अभियुक्त रेशमा के विरूद्ध धारा 324 भा.द.सं. एवं शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324 सहपठित 34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि, अभियुक्तगण ने दिनांक 25.11.2022 को समय 14:00 बजे स्थान फरियादी का घर तुकोगंज रोड जिला देवास में सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण

में अभियुक्त रेशमा ने आहत नाजीया को वेधन या काटने के उपकरण चाकू से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की थी।

02. उल्लेखनीय है कि, अभियुक्तगण को धारा 504, 323 सहपठित 34 506 (भाग–दो) भा.दं.सं. के आरोपों से आदेश दिनांक 13.09.2023 को फरियादी/आहतगण के साथ राजीनामा हो जाने से **दोषमुक्त** किया जा चुका है।

03. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 25.11.2022 को दोपहर 02:00 बजे फरियादी नाजीया गरम पानी रखने के लिए किचन में गई थी तो पानी के छींटे गैस के पास रखी चाय की तपेली में चले गये। उक्त बात पर उसकी जेठानी सायना उसे मॉ–बहन की गंदी–गंदी गाली देने लगी। उसने गाली देने से मना किया तभी उसके जेठ फक्कू उर्फ बबलू, ननद रेशमा, जेठ जुबेर आये और चारों उसके साथ मारपीट करने लगे तथा कहने लगे कि, सायना की चाय में छींटे क्यों उडाये। रेशमा ने किचन में पडा चाकू लेकर उसके बांए हाथ की कलाई पर मार दिया, जिससे उसे खून निकलने लगा। उसकी जेठानी सायना ने किचन में पडे डंडे से उसके सिर पर मारी, जिससे सिर में चोट लगी तथा फक्कू उर्फ बबलू व जुबेर ने उसके साथ थप्पड मुक्की से मारपीट की। उसका लडका यासीन बीच–बचाव करने आया तो रेशमा ने उसके लडके का गला पकडकर दबा लिया, जिससे उसे चोट लगी तभी उसके पति घर आ ये और बीच–बचाव किया। सभी कहने लगे कि, आज तो बच गई है, आइंदा कुछ भी कहा या मकान में हिस्सा मांगा तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। घटना के बाद फरियादी द्वारा की गई उक्ताशय की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र नाहर दरवाजा के अपराध क्रमांक 393/2022 पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर, नक्शामौका, जप्ती तथा धारा 41–क दं.प्र.सं. के अंतर्गत सूचना पत्र की कार्यवाही एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र दिनांक 06.12.2022 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण द्वारा वर्णित आरोप पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने अपने अभिवाक् में अपराध अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा है। अभियुक्तगण ने परीक्षण अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्तगण द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

05. **प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैः–**

1	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.11.2022 को समय 14:00 बजे स्थान फरियादी का घर तुकोगंज रोड जिला देवास में सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में अभियुक्त रेशमा ने आहत नाजीया को वेधन या काटने के उपकरण चाकू से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित थी ?
2	दोषसिद्धि व दंडादेश ?

–:: सकारण निष्कर्ष ::–

/ /विचारणीय प्रश्न क0 1/ /

06. नाजीया (अ.सा.2) के कथन हैं कि, वह अभियुक्तगण को जानती है, वह उसके रिश्तेदार हैं। यासीन, उसका पुत्र है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक साल पहले उनके घर की किचन में दोपहर के समय की है। उसकी, अभियुक्तगण से किचन में चाय बनाने पर कहासुनी हो गई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उसने पुलिस में शिकायत (प्र.पी.1) की थी। साक्षी ने शिकायत (प्र.पी.1) व नक्शामौका (प्र.पी.2) पर उसके हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। सूचक प्रश्न में साक्षी ने रेशमा द्वारा उसे चाकू से मारने के सुझाव से इंकार कर स्वतः व्यक्त किया है कि, किचन में काम करते हुए उसे खुद से चाकू लग गया था। उसने, रेशमा द्वारा चाकू से उसे मारने के संबंध में पुलिस रिपोर्ट (प्र.पी.1) तथा उसके पुलिस कथन (प्र. पी.3) भी पुलिस को नहीं देना व्यक्त किया है।

07. यासीन (अ.सा.1) के कथन हैं कि, वह अभियुक्तगण को जानता है। नाजीया, उसकी मॉ है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पुरानी घर की दोपहर के समय की है। उसकी मम्मी का किचन में उसकी बडी मम्मी सायना से विवाद हो गया था। उसकी बडी मम्मी सायना, बडे पापा फक्कू, बुआ रेशमा व बडे पापा जुबेर ने उसकी मम्मी के साथ मारपीट की थी व गंदी–गंदी गालियां दी थीं। वह आवाज सुनकर बीच–बचाव करने गया तो सभी ने उसके साथ भी मारपीट की व रेशमा ने उसका गला पकड लिया। उन्होंने पुलिस में जाकर

शिकायत की थी।

08. गुलरेज (अ.सा.3) के कथन हैं कि, वह अभियुक्तगण को जानता है। नाजीया उसकी बीवी है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पुरानी है। वह दोपहर में बाहर गया था। वह जब वापस लौटा तो उसकी पत्नि ने बताया कि, उसके व अभियुक्तगण के मध्य कहासुनी हुई थी। इससे ज्यादा घटना की उसे कोई जानकारी नहीं है। सूचक प्रश्न में साक्षी ने उसके घर लाटने पर उसकी पत्नि ने रेशमा द्वारा उसे चाकू से मारने वाली बात बताने के सुझाव से इंकार कर उक्त संबंध में उसके पुलिस कथन (प्र.पी.4) भी पुलिस को नहीं देना व्यक्त किया है।

09. यासीन (अ.सा.1) ने सूचक प्रश्न में स्वीकार किया है कि, रेशमा ने उसकी मम्मी को चाकू से मारा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, उसने रेशमा को उसकी मॉ को चाकू मारते हुए नहीं देखा, स्वतः कहा कि, वह बाद में पहुंचा था। साक्षी ने किचन में काम करते हुए उसकी मॉ के गिरने के कारण उन्हें चोट आने के सुझाव से भी इंकार किया है। साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, जिससे उसकी मॉ को अभियुक्त द्वारा चाकू से मारने की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

10. प्रकरण में फरियादी नाजीया (अ.सा.2) व गुलरेज (अ.सा.3) द्वारा अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी/आहतगण तथा अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा होने के कारण अभियोजन के द्वारा अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी के कथन न्यायालय के समक्ष नहीं करवाये हैं। नाजीया (अ.सा.2) व गुलरेज (अ.सा.3) ने अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में अभियुक्त रेशमा द्वारा नाजीया के साथ चाकू से स्वैच्छया उपहति कारित करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है। नाजीया (अ.सा.1) स्वयं आहत साक्षी है तथा उसके द्वारा घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है तथा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने के उपरांत भी उसने अभियुक्त रेशमा द्वारा चाकू से मारपीट करने के सुझाव से इंकार कर स्वतः व्यक्त किया है कि, किचन में काम करते हुए उसे खुद से चाकू लग गया था। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। **फलतः विचारणीय प्रश्न कमांक 1 ''प्रमाणित नहीं'' पाया जाता है।**

//विचारणीय प्रश्न क0 2//

–:: दोषसिद्धी व दण्डादेश ::–

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन तथा विचारणीय प्रश्नों पर प्राप्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि, अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि, अभियुक्तगण ने दिनांक 25.11.2022 को समय 14:00 बजे स्थान फरियादी का घर तुकोगंज रोड जिला देवास में सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में अभियुक्त रेशमा ने आहत नाजीया को वेधन या काटने के उपकरण चाकू से मारकर स्वैच्छया उपहति कारित की थी। परिणामस्वरूप **अभियुक्त रेशमा** को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 324** तथा **अभियुक्त फकीर मोहम्मद उर्फ फक्कू, जुबेर एवं सायना** को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 324 सहपठित 34** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

12. अभियुक्तगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा धारा–437(क) दं.प्र.सं. के तहत् प्रस्तुत मुचलके छः माह पश्चात् भारमुक्त समझे जाऍं।

13. अभियुक्तगण अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान निरोध में नहीं रहे है। इस संबध में प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द.प्र.सं. पृथक से तैयार कर अभिलेख में संलग्न किया जाए।

14. प्रकरण में जप्तशुदा चाकू व डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जाऍं। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(प्रियांशु पांडे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवास, मध्यप्रदेश

(प्रियांशु पांडे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवास, मध्यप्रदेश

PRIYANSHU PANDE
Digitally signed by PRIYANSHU PANDE
Date: 2023.09.23 17:26:08 +0530